राजस्व लोक अदालत 2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट:– श्री उदयभानु चारण(आर.ए.एस.)

कैम्प– खेड़ स्टेशन दिनांक:–14.6.16

मुकदमा सं0 :–164/2014

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
1. कृपाराम उर्फ कूंपा पुत्र गमनाराम कौम मेघवालों के गूरू निवासी कलावा तहसील बाड़मेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत रेकर्ड दुरूस्त कराने हेतु

आदेश

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत खेड़ में पेश हुई । वाद के मुख्य तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सरहद मौजा कलावा में खेत खसरा सं. 584/60 रकबा 25.00 बीघा स्थित है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा कास्त है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में कूंपा वल्ड गमना जाति भांभी(गुरू) साकिन आकड़ली दर्ज है। प्रार्थी का सही नाम कृपाराम पुत्र गुमनाजी कौम मेगवालों के गुरू है किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से कृपाराम के स्थान पर कूंपा वल्द गमना कौम मेगवालों के गुरू के स्थान पर भांभी लिख दिया। जिससे प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु ऋण आदी लेने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौजा कलावा में खेत खसरा सं. 584/60 रकबा 25.00 बीघा में प्रार्थी का नाम कूंपा के स्थान पर कृपाराम व जाति भांभी के स्थान पर मेगवालों के गुरू दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ जिसमें पक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजातों का एवं गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया है।एवं कैम्प मे उपस्थित लोगो को सुना गया ।

प्रकरण में साक्ष्य दस्तावेजातों का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे प्रतीत हो कि कूंपा व कृपाराम एक ही व्यक्ति के नाम है। न ही कैम्प मे उपस्थित लोगो ने प्रार्थी के पक्ष में अपने बयान दर्ज करवाये है। सम्पूर्ण साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्योचित प्रतीत नही होता है। प्रभावित पक्षकारों को सुनने के पश्चात नियमानुसार निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। संक्षिप्त कार्यवाही में ऐसी त्रुटि का सुधार किया जाना मुनासिब नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे ।

पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

14/6/16

(उदयभानु चारण)
सहायक कलक्टर
बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner